<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी.एक्ट, अयोध्या।</u>

उपस्थितः- राकेश कुमार षष्ठम एच.जे.एस.
J.O.CODE- U P 6115
Computer Registration No.-447/2026
CNR No. UPFZ01-001214-2026

अब्दुल कादिर आयु लगभग 47 वर्ष पुत्र स्व० इरशाद अहमद निवासी ग्राम पलिया शाहबदी थाना पूराकलन्दर जिला अयोध्या .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य। .....विपक्षी।

मु०अं०संख्या- 583/2025
धारा- 352, 351(3) बी.एन.एस
व धारा 3(2)Va एस.सी.एस.टी एक्ट,
थाना- पूराकलन्दर
जिला- अयोध्या।

<u>जमानत आदेश</u>

(1) आवेदक/अभियुक्त **अब्दुल कादिर** द्वारा मु०अं०संख्या–583/2025, अन्तर्गत धारा– 352, 351(3) बी.एन.एस व धारा 3(2)Va एस.सी.एस.टी एक्ट, थाना–पूराकलन्दर, जनपद– अयोध्या के प्रकरण में जमानत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) जमानत आवेदन पत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र जनपद के किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निर्णीत ही हुआ है।

(3) आवेदक/अभियुक्त अब्दुल कादिर उक्त अभियोग में आज दिनांक–18.03.2026 तक अन्तरिम जमानत पर है, अभियुक्त द्वारा आज दिनांक–18.03.2026 को आत्मसमर्पण किया गया है।

(4) संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा बैजनाथ रावत ने थाना प्रभारी पूराकलन्दर को एक तहरीर इस आशय की दिया कि प्रार्थी कल दिनाक 13.8.2025 सांय 4 बजे बल्लू जो की अरुवाँवा चौराहे पर हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं पर उसामा अकील के साथ बैठे थे। उसामा का विपक्षी उसामा को मारने के लिए वहां पर आया जिसका नाम कादिर है मुझे उसामा के साथ देखकर विपक्षी कादिर फोन लगाकर कुछ लोगों को बुलाने लगा हम लोगों को अनदेशा होने पर हम लोग अपनी महाकाल कंपनी पर चले गए। फिर कंपनी से कुछ काम हेतु उसामा रामपुर भगन चले गए। थोड़ी देर में कादिर कंपनी के पास आया मुझे देखकर कादिर ने कहा कि तुम्हारा मालिक उसामा कहां है तो मैंने कहा कि उसामा नहीं है कहीं गए हैं फिर कादिर ने मां बहन की गाली देते हुए कहा कि उसामा वोषडी को बता देना कि कब तक छुपेंगें मारूंगा जरूर। फिर मैंने कहा गाली क्यों दे रहे हो तो इस पर कादिर ने कहा कि तुम साले पासी की झाँट मैनेजर बन रहे हो, उसामा का साथ छोड दो नहीं तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा नहीं मानोगे तो तुम भी जान से मार डालने की धमकी दिया, यह सब देखकर रास्ते पर खड़े सैय्यद जुबैर ने जब बीच बचाव करने आए तो उनको देखकर विपक्षी अपनी गाड़ी से अयोध्या की तरफ भाग गया। प्रार्थी अनुसूचित जाति का है।

(5) आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है। महज ओसामा से रंजिश व विरोध होने के कारण ओसामा के मैनेजर द्वारा ओसामा के उकसाये जाने पर मगनढ़त व झूठे तथ्यों आधारों पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है।

(6) वादी मुकदमा को भेजी गई नोटिस जरिये वारिस तामील है परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस.सी/एस.टी ऐक्ट) ने जमानत

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.03.18 15:42:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा को जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। अतः आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

(7) आवेदक ने स्वंय को निर्दोष अभिकथित करते हुए झूंठे तथ्यों के आधार पर फंसाया जाना कहा है। आवेदक आज दिनांक 18.03.2026 तक अन्तरिम जमानत पर था। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया जाना नहीं कहा गया है। एस.सी.एस.टी एक्ट की धारा 3(2)Va को छोड़कर शेष सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय से परीक्षणीय है। आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन का भी ऐसा कोई तर्क नहीं है कि अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने पर उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित किये जाने की संभावना हो।

(8) उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रस्तुत प्रकरण के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अब्दुल कादिर** द्वारा मु०अं०संख्या–583/2025, अन्तर्गत धारा– 352, 351(3) बी.एन.एस व धारा 3(2)Va एस.सी.एस.टी एक्ट, थाना– पूराकलन्दर, जनपद– अयोध्या, के अभियोग में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा मु०–25,000/– का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाये। तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है।

(राकेश कुमार षष्ठम)
J.O Code–UP 6115
विशेष न्यायाधीश,एस.सी.एस.टी ऐक्ट,
अयोध्या।

दिनांकः–18.03.2026